# प्रमुख अभियंता के पत्र क्र. 551/बोधी/लाईनिंग/2013/11893 दिनांक 08.08.2013 के अनुसार नहरों की लाईनिंग के प्रस्ताव प्रस्तुत करने विषयक दिशा निर्देश का निराकरण

| स. क्र. | बिन्दु का विवरण | निराकरण | कैफियत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय योजना की फीजीबिलिटी हेतु कार्यपालन अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण के आधार पर सी.एन.एस. का प्रावधान किया जावें, परंतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व स्वेलिंग प्रेशर टेस्ट कराया जाकर तद्नुसार ही सी.एन. एस. सतह की मोटाई का अंतिम निर्धारण किया जावें। इस हेतु कार्यपालन अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जावे। | कार्यपालन अभियंता द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण की टीप संलग्न –<br><br>सी.एन.एस. का प्रावधान स्वेलिंग प्रेशर के टेस्ट अनुसार किया गया है। टेस्ट रिजल्ट संलग्न | पृ.क्र.<br><br>पृ.क्र. |
| 2. | प्रस्तावित लाईनिंग से कितनी मात्रा में जल की बचत होगी एवं उस बचत जल का उपयोग कहां किया जावेगा, गणना कर, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जावे। लाईनिंग से बचत जल का उपयोग यदि किन्हीं अन्य प्रयोजनों यथा औद्योगिक जल प्रदाय, पेय जल आपूर्ति आदि के लिए किया जाना प्रस्तावित हो तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जावे। | प्रस्तावित लाईनिंग से 0.13 क्यूमेक जल की बचत होगी। जिसका उपयोग 101.86 हेक्ट. अतिरिक्त सिंचाई हेतु किया जावेगा। | पृ.क्र. |
| 3. | विगत पांच वर्षो के वर्षवार सिंचाई के आकड़े प्रस्तुत कर कम सिं.ई के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। | संलग्न | पृ.क्र. |
| 4. | लाईड नहर का क्रास सेक्सन एवं उसका डिजाइन अनिवार्य रूप से संलग्न किया जावे। | संलग्न | |

Technical instruction

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | संबंधित मुख्य अभियंता के निरीक्षण टीप, जिसमें नहर के प्रस्तावित भाग में लाईनिंग की आवश्यकता एवं औचित्यता का स्पष्ट उल्लेख एवं अनुशंसा ही संलगन किया जावे। | लघु योजना होने के कारण कार्यपालन अभियंता द्वारा निरीक्षण किया गया है। टीप संलग्न | पृ.क्र. |
| 6. | प्रकरण के साथ योजना का Index Map एवं Command Map अनिवार्य रूप से संलग्न किया जावे, जिसमें कार्य पूर्ण होने पर लाईनिंग से सिंचाई क्षमता में होने वाली वृद्धि को स्पष्ट रूप से Coloured Marking कर प्रस्तुत किया जावें। लाईनिंग से बचत जल का उपयोग यदि किसी अन्य योजना / नहर प्रणाली में किया जाना प्रस्तावित हो तो उस योजना / नहर प्रणाली का भी Command Map में Coloured Marking कर प्रस्तुत किया जावे। | संलग्न | |
| 7. | नहरों में किसी भी लाईनिंग कार्य को प्रस्तावित एवं अनुमोदित करने के पूर्व संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा इसकी आवश्यकता पर समुचित तकनीकी परीक्षण किया जावे। यदि मुख्य अभियंता नहर लाईनिंग की आवश्यकता एवं औचित्य से पूर्ण रूपेण आश्वस्त हों तभी प्रकरण अनुशंसा के साथ परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जावे। | मुख्य अभियंता लाईनिंग की आवश्यकता एवं औचित्य से सहमत। | |

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग क्र. 01
राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग
राजनांदगांव (छ.ग.)

# शीर्ष एवं नहरों की लाईनिंग के प्रस्ताव प्रस्तुत करने विषयक दिशा–निर्देश का निराकरण

| स. क्र. | बिन्दु का विवरण | निराकरण | कैफियत |
|---|---|---|---|
| 1. | बी.सी. रेश्यों की गणना में एकरूपता | बी.सी. रेशियो की गणना, उपसंचालक कृषि जिला **राजनांदगांव** से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर की गई है। | संलग्न पृ.क्र. |
| 2. | प्रस्तावों में लागत की तुलना में लाभ कम प्रतीत होता है। | प्रस्ताव में लागत के अनुरूप लाभ अधिक है। 302.00 हेक्ट. में सिंचाई पुनर्जीवित एवं अतिरिक्त सिंचाई क्षमता से मि. टन धान अतिरिक्त होगा, जिसकी लागत रू. लाख है। | |
| 3. | कुछ प्रकरणों में लाईनिंग कार्य की आवश्यकता / औचित्य प्रतिपादित नहीं होता। मात्रा रिमाडलिंग एवं आवश्यक स्ट्रक्चर्स के कार्य कराने से पूर्ण सिंचाई क्षमता प्राप्त की जा सकती है। | योजना 5 वर्ष पूर्ण हुई है। लाईनिंग करने से बचत जल से 101.86 हेक्ट. अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी। | |
| 4. | नहरों के लाईनिंग कार्य के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में प्रमुख अभियंता के पत्र क्रमांक 551/बोधी/लाईनिंग/2013/11893 दिनांक 08.08.2013 द्वारा दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। | संलग्न | पृ. क्र. |

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग क्र. 01
राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग
राजनांदगांव (छ.ग.)